न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–15/2023 राजस्व वाद

उनवान

1. पुषा लाल पुत्र श्री राधेश्याम सांगावत आयु वयस्क निवासी– सुठेपा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)
2. विनोद पुत्र श्री राधेश्याम सांगावत आयु वयस्क निवासी– सुठेपा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)

–वादीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री सोहन लाल अटारिया जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– बस स्टेण्ड के पास, अटारिया मौहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. देऊ पुत्री श्री सोहन लाल अटारिया पत्नी श्री भंवर लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी डी–512 संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रामकरण पुत्र श्री मोहन लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक (नाम हजफ)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 आर०टि०एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1. विकास जायसवाल– प्रार्थी
2. मांगीलाल सैन– अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय दिनांकः– 02/1/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विकास जायसवाल द्वारा दिनांक 20.06.2023 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 15/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

उक्त उनवान का वादपत्र प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्व आप न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. जो जैर कार्यवाही है। प्रस्तुत वादपत्र काफी ठोस एवं मजबूत आधारो पर आधारित होने से अवश्य ही वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष मे डिक्री होगा।

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

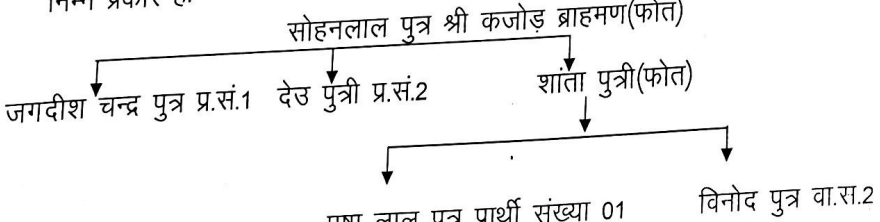

2/1/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सोहन लाल जी के एक पुत्र जगदीश चन्द्र व 2 पुत्रीया देऊ व शांता हुई, शांता का देहान्त हो चुका है. जिसके वारीस पुषा लाल व विनोद प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण जो कि सोहन लाल जी की पुत्री शांता के पोत्र होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है।

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे निम्न वर्णित आराजियात स्थित है :–

भाग– अ खाता संख्या 692

आराजी नम्बर 4518/1 रकबा 0.0253 हेक्टयर, आराजी नम्बर 5307/2 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5308/2 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5313 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5315 रकबा 0. 1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5321/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 5322/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5332 रकबा 0. 0506 हैक्टयर आराजी नम्बर 8925/4 रकबा 0.1897 हैक्टयर आराजी नम्बर 8925/8 रकबा 0.1265 हैक्टयर आराजी नम्बर 8927/1 रकबा 0. 1897 हैक्टयर आराजी नम्बर 8928 रकबा 0.0759 हैक्टयर आराजी नम्बर 8933/2 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8935 रकबा 0.4805 हैक्टयर कुल किता 14 रकबा 1.6440 हैक्टयर

भाग–ब खाता संख्या 720

आराजी नम्बर 5407 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5408 रकबा 0. 0253 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर

भाग–स खाता संख्या 2294

आराजी नम्बर 8890 रकबा 0.8093 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8897 रकबा 0.3414 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8901 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 1.2519 हैक्टयर

उक्त आराजियात को वादपत्र मे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा।

विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात है जो कि प्रार्थीगण के नाना सोहन लाल जी जमाने की होकर प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात है, जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है।

प्रार्थनापत्र मे वर्णित पारिवारिक सजरे अनुसार प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 के भाग अ व ब मे वर्णित आराजियात मे प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा, भाग–स मे वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/6 हक हिस्सा निहित है व इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है व प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ही मे दिनांक 10 मार्च 2023 को विपक्षी संख्या 01 वादग्रस्त आराजियात पर आया व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, इस पर प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कहा कि उक्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक होकर प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है, इस पर विपक्षीगण ने कहा कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज नही है व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 द्वारा उक्त आराजियात को अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा ली, उसके पश्चात विपक्षी संख्या 02 द्वारा 1/3 हक हिस्सा होते हुए भी 1/2 हक हिस्से की विपक्षी संख्या 01 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। इस कारण से प्रार्थीगण को बेदखल करके ही रहेगे व आराजियात को किसी अन्य को रहन विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेगे। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थीगण को जानकारी हई कि प्रार्थीगण की माता शांता देवी जो कि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की बहिन होने व प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की सगी बहिन शांता के जायन्दा वारीसान होने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 01 एवं 02 अकेले द्वारा अपने नाम पर दर्ज करा, विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने 1/3 हक हिस्से के बजाय 1/2 हक हिस्से का हक परित्याग कर दिया। जो प्रार्थीगण के हक अधिकार के मुकाबले शुरू से ही अवैध, शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वोईड) है।

उक्त आराजियात ही प्रार्थीगण व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया है। उक्त भूमि पर ही प्रार्थीगण कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करते है।

यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नहीं किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थनापत्र मे वर्णित ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) **भाग– अ खाता संख्या 692** मे आराजी नम्बर 4518/1 रकबा 0.0253 हेक्टयर आराजी नम्बर 5307/2 रकबा 0.0506 हैक्टयर आराजी नम्बर 5308/2 रकबा 0.0253 हैक्टयर आराजी नम्बर 5313 रकबा 0.0126 हैक्टयर आराजी नम्बर 5315 रकबा 0.1012 हैक्टयर आराजी नम्बर 5321/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 5322/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5332 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8925/4 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8925/8 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8927/1 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8928 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8933/2 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8935 रकबा 0.4805 हैक्टयर कुल किता 14 रकबा 1.6440 हैक्टयर, **भाग–ब खाता संख्या 720** मे आराजी नम्बर 5407 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5408 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर **भाग–स खाता संख्या 2294** मे आराजी नम्बर 8890 रकबा 0.8093 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8897 रकबा 0.3414 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8901 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 1.2519 हैक्टयर प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात है, जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा प्रार्थनापत्र मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 के भाग–अ व ब में वर्णित आराजियात मे प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा भाग–स में वर्णित आराजियात मे प्रार्थीगण का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/6 हक हिस्सा निहित है. विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से सहित अपने 1/3 के बजाय 1/2 हक हिस्से का विपक्षी संख्या 01 के पक्ष मे किया गया हक परित्यागपत्र प्रार्थीगण के हक हिस्से के मुकाबले अवैध व शून्य, निष्प्रभावी घौषित कराया जाकर प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के साथ अपने हक हिस्से की भूमि को नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 10 मार्च 2023 से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

21/1/2026
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

उक्त मामले मे विपक्षी संख्या 04 एवं 05 राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा०दी० के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और प्रार्थीगण नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेगा तो इससें पूर्व ही विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा व प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तो वादीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत मे बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है तथा धारा 80(2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

वादीगण/प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा सतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बर्द कर देगा तो वादीगण/प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में वर्णित ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) के खाता संख्या 692 मे आराजी नम्बर 4518/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5307/2 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5308/2 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5313 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5315 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5321/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5322/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5332 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8925/4 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8925/8 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8927/1 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8928 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8933/2 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8935 रकबा 0.4805 हैक्टयर कुल किता 14 रकबा 1.6440 हैक्टयर एवं खाता संख्या 720 में आराजी नम्बर 5407 रकबा 0.2782 हैक्टयर आराजी नम्बर 5408 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर **भाग–स खाता संख्या 2294** मे आराजी नम्बर 8890 रकबा 0.8093 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8897 रकबा 0.3414 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8901 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 1.2519 हैक्टयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नहीं किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द न करे तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय/हस्तांतरण संबधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे तथा विपक्षी संख्या 05 भी विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय/हस्तांतरण संबधी दस्तावेज पेश करने पर उनका पंजीयन नही करे तथा विपक्षी संख्या 04 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मूलवाद में अप्रार्थी संख्या 03 की मृत्यू वाद पेश करने से 10 वर्ष पूर्व होने के कारण प्रस्तुत वाद अबेट होने बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 (3) व धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 के सम्मन बाद तलबी असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 22 नियम 4 (3) व धारा 151 जाब्ता दीवानी में दावा अबेट किये जाने बाबत् में अप्रार्थी संख्या 03 की मृत्यु के 10 वर्ष उपरान्त मृतक के विरूद्ध दावा पेश किये जाने के तथ्य को वादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किये जाने से अप्रार्थी संख्या 03 की हद तक (दावा अबेट) प्रार्थना पत्र (अबेट) उपशास्ति किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 03 का नाम लाल स्याही से हजफ किया गया।

2/1/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी संख्या 01 के बाद तामील असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला:-

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के नाना सोहन लाल की होकर प्रार्थीगण की पैतृक होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है व प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है।

2. सुविधा का संतुलनः-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है व विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त आराजियात को अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा ली, उसके पश्चात विपक्षी संख्या 02 द्वारा 1/3 हक हिस्सा होते हुए भी 1/2 हक हिस्से की विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। यदि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द-बुर्द कर देगा व प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तो वादीगण/प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा और नवीन वाद विवाद की श्रृंखला उत्पन्न हो जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। यदि विपक्षीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादग्रस्त आराजियात का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द-बुर्द कर देगे तो नवीन वादकारण उत्पन्न होने की संभावना है। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि नवीन वादकारण को उत्पन्न होने से रोका जाए। अतः प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।

3. अपूरणीय क्षतिः-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य पक्षकार को अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नही हो पाएगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। यदिं अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादग्रस्त भूमि का किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थीगण अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहे है। अतएव

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा